बिहार फाउन्डेशन

छठी मंजिल, इंदिरा, भवन, आर.सी.एस. पथ, पटना–800001

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सुचना

बिहार फाउन्डेशन, उद्योग विभाग के अन्तर्गत, एक निबंधित सोसाइटी है। बिहार फाउन्डेशन, पटना द्वारा दिनांक 28 मार्च 2020 से 3 मई 2020 तक चैप्टर्स के माध्यम से चलाए गए राहत कार्यक्रम के सफल हेतु क्रियान्वयन हेतु स्वंयसेवकों को प्रशस्ति–पत्र प्रदान किये जाने के निमित इनके मुद्रण हेतु मुद्रकों/प्रकाशकों से निम्न शर्तो के तहत मुहरबन्द कोटेशन दिनांक 27.08.2020 को अप० 3.00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। कोटेशन उसी दिन अप० 4.00 बजे विशेष कार्य पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष कोटेशनदाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपारिथति में खोला जाएगा। किये जाने वाले मुद्रण/प्रकाशन का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:–

1. प्रशस्ति–पत्र (Certificate of Appreciation) की कुल 500 प्रति हिन्दी तथा 500 प्रति अंग्रेजी अर्थात कुल 1000 प्रति का मुद्रण किया जाना है।
2. प्रशस्ति–पत्र का आकार A 4 + माउन्ट (2") होगा।
3. प्रशस्ति–पत्र का डिजाईन बिहार फाउन्डेशन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
4. प्रशस्ति–पत्र को डिजटल अथवा 4 कलर द्वारा प्रिंट कराया जायेगा।
5. प्रशस्ति–पत्र के उपयोग में लाए जाने वाला कागज Acid-free होगा तथा इसकी मोटाई 300 GSM होगी।
6. प्रशस्ति–पत्र में स्वंयसेवको का नाम मुद्रित होगा।
7. प्रशस्ति–पत्र के डिजाईन के बाहरी बार्डर का रंग गोल्डेन तथा सिल्वर के मेल से तैयार होगा।
8. कोटेशन जमा करने से पूर्व मुद्रक/प्रकाशक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में प्रशस्ति–पत्र का डिजाईन प्राप्त कर सकते है।

कोटेशन की शर्तें :–

1. सीलबंद कोटेशन द्वि–लिफाफ पद्धति के अन्तर्गत होगा। इसमें तकनीकी एवं वित्तीय कोटेशन के उल्लेख के साथ दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफा होगा। दोनों सीलबंद लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर उसे सीलबंद कर समर्पित करना होगा।
2. GST निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
3. प्रतिष्ठान/प्रोप्राइटर के पैन कार्ड/अद्यतन आयकर रिर्टन की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
4. विगत तीन वर्षो का मुद्रण/प्रकाशन सरकारी गैरसरकारी कार्य अनुभव संबंधि कागजात की छायाप्रति।
5. कोटेशन लिफाफा में सभी कागजात कोटेशनदाता द्वारा हस्ताक्षरित का संलग्न किया जायेगा। कोटेशन मे समर्पित कागजातो की मूल प्रति मांगे जाने पर कोटेशनदाता को उपलब्ध करना होगा।
6. अपूर्ण कोटेशन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नही किया जायेगा।
7. सफल कोटेशनदाता द्वारा मुद्रित प्रशस्ति–पत्र की आपूर्ति इस कार्यालय को की जायेगी तथा इसके लिए अलग से यात्रा व्यय/भाड़ा इत्यादि देय नही होगा।
8. कोटेशन प्रकिया को बिना पूर्व सूचना के पूर्णतः/अंशतः संशोधित/रद्द करने पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित है।

18/8/2020

(अशोक कुमार सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी
बिहार फाउन्डेशन, पटना

Scanned with CamScanner